



राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./लेखा/भुगतान/एच. एण्ड टी./2019-20/

1027 दिनांक 27/11/2020

श्री उमाशंकर,
प्रभारी
राज्य भण्डार गृह,
ईटावा

पंजीकृत

विषय : भण्डारगृह के वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी.कार्य के बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1133 दिनांक 22.01.2018 एवं पंजीकृत पत्र क्रमांक 3009 दिनांक 05.03.2019 द्वारा एच. एण्ड टी. कार्य के बिल समय पर भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के बिल अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के कोई बिल आपके केन्द्र पर लम्बित हैं तो उन्हें तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ० ब्रज भूषण शर्मा)

वित्तीय सलाहकार



राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./लेखा/भुगतान/एच. एण्ड टी./2019-20/ 1026 दिनांक 27/11/2020

श्री राकेश कुमार कनवारिया,
भण्डार प्रबंधक
राज्य भण्डार गृह,
नोखा

पंजीकृत

विषय : भण्डारगृह के वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी.कार्य के बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1133 दिनांक 22.01.2018 एवं पंजीकृत पत्र क्रमांक 3009 दिनांक 05.03.2019 द्वारा एच. एण्ड टी. कार्य के बिल समय पर भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के बिल अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इसलिए पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के कोई बिल आपके केन्द्र पर लम्बित हैं तो उन्हें तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ० ब्रज भूषण शर्मा)
वित्तीय सलाहकार



राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./लेखा/भुगतान/एच. एण्ड टी./2019-20/

1025 दिनांक 27/11/2020

श्री शंकर लाल यादव,
भण्डार प्रबंधक
राज्य भण्डार गृह,
बीकानेर ए.एल.पी.

पंजीकृत

विषय : भण्डारगृह के वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी.कार्य के बिल समय पर प्रस्तुत नही करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1133 दिनांक 22.01.2018 एवं पंजीकृत पत्र क्रमांक 3009 दिनांक 05.03.2019 द्वारा एच. एण्ड टी. कार्य के बिल समय पर भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के बिल अभी तक प्रस्तुत नही किये गये हैं। इसलिए पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के एच. एण्ड टी. कार्य के कोई बिल आपके केन्द्र पर लम्बित हैं तो उन्हें तत्काल प्रस्तुत करें, अन्यथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(डॉ० ब्रज भूषण शर्मा)
वित्तीय सलाहकार